अधिसूचना अंतर्गत मध्यप्रदेश आयुष विभाग राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2013

क्र. एफ-02-01-2018-1-उनसठ.-राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश आयुष विभाग राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम-11-प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी संबंधी नियमों में (viii) के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि मात्र एक समय के लिए प्रतिस्थापित करता है:-

''(ix). राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) योजनान्तर्गत वर्तमान में कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सक, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा अंतर्गत हो, को उनके प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों के चयन हेतु आयोजित परीक्षा में निर्धारित कुल अंक 100 का 03 अंक प्रतिवर्ष दिये जाने तथा 05 वर्ष से अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 05 वर्ष की अवधि तक परीक्षा का कुल पूर्णाक 100 अंक होने पर अधिकतम 15 अंक, दिया जाये. उक्त अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में जोड़ा जायेगा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में बोनस अंक जोड़ने पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस में प्राप्त अंकों का अधिकतम योग 100 से अधिक नहीं होगा अर्थात् लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों एवं बोनस अंकों का योग 100 से अधिक होने पर लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक एवं बोनस अंक का कुल योग 100 अंक की सीमा तक ही सीमित होगा उक्त अनुभव के अंक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के कुल पूर्णांक 100 के आधार पर गणना की गई है कम अथवा अधिक पूर्णांक होने की स्थिति में बोनस अंकों की गणना भी उसी पूर्णाक के अनुरूप की जावेगी. लिखित परीक्षा में प्रान्त अंक, बोनस अंक व साक्षात्कार में प्राप्त अंक जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट के आधार पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों के चयन हेतु आयोजित परीक्षा में समेकित चयन सूची तैयार की जाएगी "

MAP IT (MPCode)
www.code.mp.gov.in

-----**-----